पंचदश बिहार विधान सभा

षोडश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-26.03.2015 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री विनोद नारायण झा, स०वि०स० श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स० श्री रामदेव महतो, स०वि०स० श्री राम नरेश यादव, स०वि०स०	"जिला पदाधिकारी, मधुबनी की अध्यक्षता में दिनांक-30.12.2014 को क्रय समिति की बैठक में निविदा के उपरान्त मेसर्स जय-भैरव एग्रो एजेंसी, मधुबनी को एक वर्ष के लिये 2,31,500.00 रूपया प्रति सोलर लाईट निर्धारित दर पर अधिष्ठापन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें माननीय सांसद एवं विधान मंडल सदस्यों की अनुशंसा पर अधिष्ठापित कराने का निर्णय लिया गया । क्रय समिति के निर्णय के आलोक में जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी ने पत्रांक-39, दिनांक-14.01.2015 द्वारा संयुक्त निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, पटना से मार्गदर्शन की मांग की है । उक्त मार्गदर्शन में माननीय सांसद हुक्मदेव नारायण यादव, माननीय सदस्य विधान परिषद रामलषण राम 'रमण' एवं माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा अरूण शंकर प्रसाद की अनुशंसा के आधार पर सोलर लाईट अधिष्ठापित कराये जाने की चर्चा की गयी थी । परन्तु, माननीय सांसद की अनुशंसा पर जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी के ज्ञापांक-89, दिनांक-29.01.2015 द्वारा योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी, लेकिन माननीय सदस्य, विधान मंडल के अनुशंसा की स्वीकृति नहीं दी गयी । अतः उक्त दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने एवं उक्त निविदा के आधार पर शीघ्र सोलर लाईट की स्वीकृति दिलाने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	योजना एवं विकास

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्रीमती रेणु कुमारी, स०वि०स० श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स० श्रीमती सुजाता देवी, स०वि०स० श्रीमती मनोरमा प्रसाद, स०वि०स० श्रीमती रजिया खातुन, स०वि०स० श्री सतीश कुमार, स०वि०स० श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, स०वि०स०	"राज्य में वाहनों की जांच के अभाव में बढ़ते दुर्घटना एवं प्रदूषण को देखते हुए केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-56 एवं केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम-62 से 72 के प्रावधान के तहत् वाहनों की सही जांच कर दुरूस्ती प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु वांछित अहर्त्ताधारक 40 अभियंताओं / उद्यमियों को फिटनेस सेंटर स्थापित करने का प्राधिकार पत्र दिया गया, जो सुचारू रूप से संचालित था । परन्तु साजिश के तहत् विभागीय अधिसूचना संख्या-730, दिनांक-06.02.2015 द्वारा उक्त व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जो उल्लिखित धाराओं / नियमों के प्रतिकूल है । इस आदेश से जहां एक ओर सभी संचालकों को आर्थिक नुकसान हुआ, वहीं दूसरी ओर 300 से अधिक परिवार भुखमरी के शिकार हो जायेंगे । राज्य में वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण 1000 जांच केन्द्र की आवश्यकता है जबकि सरकार के पास ससमय जांच की कोई व्यवस्था नहीं है । एम०भी०आई० के भरोसे इस कार्य का सम्पादन हास्यास्पद होगा । ससमय दुरूस्ती प्रमाण-पत्र न देने से जहां सरकारी राजस्व की हानि होगी, वहीं वाहन स्वामियों को अत्यधिक कठिनाइयाँ एवं आर्थिक नुकसान भी होगा । अतएव बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला उक्त आदेश को निरस्त करने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	परिवहन

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-11/15- 561 / वि०स०, पटना, दिनांक- 25 मार्च, 2015 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / योजना एवं विकास विभाग तथा परिवहन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/3/15

(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-11/15- 561 / वि०स०, पटना, दिनांक- 25 मार्च, 2015 ई० ।

प्रति :- उप सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

25/3/15

(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

25/3/15